असाधारण रजिस्ट्रेशन नं. जे के—33

सत्यमेव जयते

जम्मू और कश्मीर अधिकारिक राजपत्र

खंड—137] जम्मू , मंगलवार, 20 अगस्त, 2024/29 श्रावण, 1946. [सं. 20—6

इस भाग को अलग पृष्ठीकरण दिया गया है ताकि इसे एक अलग संकलन के रूप में दर्ज किया जा सके ।

भाग I—बी

जम्मू और कश्मीर सरकार—अधिसूचनाएं।

जम्मू और कश्मीर सरकार
सिविल सचिवालय—जम्मू/श्रीनगर।

अधिसूचना

श्रीनगर, 20 अगस्त, 2024

वैधानिक आदेश—**412.**—यत :, 09 अगस्त, 2019 को जम्मू—कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया गया था, जिसके माध्यम से तत्कालीन जम्मू—कश्मीर राज्य को दो संघ राज्य— क्षेत्रों अर्थात (i) जम्मू—कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (ii) लद्दाख संघ राज्य—क्षेत्र में द्विभाजित किया गया था ; और

यतः, जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 14(2) में उपबंध किया गया है कि जम्मू–कश्मीर संघ राज्य–क्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी ; और

यतः, अन्य बातों के साथ–साथ, जम्मू–कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए अधिसूचना दिनांक 06 मार्च 2020 के जरिए परिसीमन आयोग अधिनियम, 2002 के तहत एक परिसीमन आयोग गठित किया गया था जिसे अधिसूचना दिनांक 05 मई, 2022 के जरिए पूरा कर दिया गया है ; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप–धारा (1) के निबंधनो के अनुसार नवसृजित जम्मू–कश्मीर संघ राज्य–क्षेत्र की पहली विधान सभा का गठन करने के प्रयोजनार्थ साधारण निर्वाचन आयोजित किया जाना है।

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (2) के अनुसरण में जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संस्तुति की गई है, जम्मू–कश्मीर संघ राज्य–क्षेत्र के उप–राज्यपाल एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट जम्मू–कश्मीर संघ राज्य–क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करते हैं कि वे जम्मू–कश्मीर संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें।

तालिका

विधानसभा की संख्या और नाम
32–पामपोर
33–त्राल
34–पुलवामा
35–राजपोरा
36–जैनपोरा
37–शोपियाँ
38–डी.एच. पोरा
39–कुलगाम

40—देवसर
41—डोरू
42—कोकरनाग (अ.ज.जा)
43—अनन्तनाग पश्चिम
44—अनन्तनाग
45—श्रीगुफवाड़ा—बिजबेहारा
46—शानगुस—अनन्तनाग पूर्व
47—पहलगाम
48—इन्दरवाल
49—किश्तवाड़
50—पाडेर—नागसेनी
51—भद्रवाह
52—डोडा
53—डोडा पश्चिम
54—रामबन
55—बनिहाल

उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर।

ह/—

अटल डुल्लू, (आई.ए.एस),

जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव।